2013/00016

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2013 (निगरानी)

उनवान

मूलचन्द आत्मज रामनारायण आयु 55 वर्ष जाति धाकड, निवासी रजोपा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0

(निगराकार)

बनाम

1. सीताराम आत्मज रतनलाल जाति धाकड,
2. दिनेश आत्मज सीताराम जाति धाकड
3. चतुर्भूज आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड
   निवासीग्रण ग्राम रजोपा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. ग्राम पंचायत रजोपा जर्ये सचिव, ग्राम पंचायत रजोपा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री मुकुट बिहारी पारेता (अभिभाषक निगराकार)
अनुपस्थित :– 2. श्री विरेन्द्र कुमार राठोड (अभिभाषक गैरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत रजोपा, बनाराजगी आदेश दिनांक 16.11.2007 पट्टा संख्या 18736, मिसल नम्बर 57/07

निर्णय दिनांक : 13.08..2019

1. निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में ग्राम पंचायत रजोपा, के आदेश दिनांक 16.11.2007 पट्टा संख्या 18736, मिसल नम्बर 57/07 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक निगराकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस निगरानी में कथन है कि निगराकार का एक पैत्रक मकान वाके ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है। जिसकी नाप 62 बाई 48 वर्गफुट में पूर्ण बना हुआ है, जिसका पट्टा संख्या 45 दिनांक 12.01.63 है। जिसमें निगराकार मय परिवार के तत्कालीन समय से निवास करता चला आ रहा है। तथा निगराकार के मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा में स्थित है। गैर निगराकार कम 1 का मकान निगराकार के मकान से पश्चिम दिशा में स्थित है। जिसमें गैरनिगराकार कम 1 से 3 परिवार सहित निवास कर रहे है। तथा उनके मकान का दरवाजा निगराकार के मकान की तरफ पूर्वी दक्षिण साइड में है। गैर निगराकारान का उक्त मकान मौके पर कम नाप का बना हुआ है, लेकिन गैर निगराकार कम 1 ने गैर निगराकार कम 4 से मिली भगत कर आबादी भूमि पट्टा अभियान 2007 के तहत मौके पर मकान का उक्त रकबा व नाप न होते हुऐ भी पट्टा संख्या 18736 दिनाक 16.11.07 मिसल संख्या 57/07 से 79 बाई 46 कुल 3634 वर्गफूट का अपने नाम जारी करवा लिया, रिकार्ड में पट्टे में बढी हुई अधिक नाप 12 बाई 48 निगराकार के मकान का बनवा लिया, जिसके आधार पर गैर निगराकार निगराकार के मकान पर कब्जा करने पर आमादा है। तथा गैर निगराकारान ने अपने मकान के आगे उक्त पट्टे के बढे हुऐ नाप के आधार पर छपरा व चबूतरी का निर्माण करने पर आमादा होकर निगराकार के मकान के दरवाजे का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे है। जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त

नहीं है। गैरनिगराकार ने उक्त पट्टा एक अभियान के तहत गैरनिगराकार ने षडयन्त्र व मिली भगत कर बिना मौका मुआयना करवाये अपने पक्ष में जारी करवाया है। जो कि नये मकान का जारी करवाया है। जबकि पट्टे के नियम 157(1) (क,ख) में पुराने पैत्रक मकान जो 50 वर्षो से अधिक से अधिक समय से बने हो, उन्हीं का पट्टा जारी करने का नियम है। इस प्रकार गैर निगराकार कम 4 ने आबादी भूमि विक्रय विलेख व पट्टे के नियमों तथा पंचायत राज अधिनियम के विपरीत जाकर कानूनी प्रकिया का पालन किऐ बिना गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में मौके पर नाप से अधिक जताकर 12 गुणा 40 वर्गफीट का अधिक पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी को स्वीकार फरमाया जाकर गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में गैरनिगराकार नं0 4 द्वारा जारी पट्टा संख्या 18736 दिनांक 16.11.07 मिसल नम्बर 57/07 को निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस में कथन है कि निगराकार का एक पैत्रक मकान वाके ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है। जिसकी नाप 62 बाई 48 वर्गफुट में पूर्ण बना हुआ है, जिसका पट्टा संख्या 45 दिनांक 12.01.63 है। जिसमें निगराकार मय परिवार के तत्कालीन समय से निवास करता चला आ रहा है। तथा निगराकार के मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा में स्थित है। गैर निगराकार कम 1 का मकान निगराकार के मकान से पश्चिम दिशा में स्थित है। जिसमें गैरनिगराकार कम 1 से 3 परिवार सहित निवास कर रहे है। तथा उनके मकान का दरवाजा निगराकार के मकान की तरफ पूर्वी दक्षिण साइड में है। गैर निगराकारान का उक्त मकान मौके पर कम नाप का बना हुआ है, लेकिन गैर निगराकार कम 1 ने गैर निगराकार कम 4 से मिली भगत कर आबादी भूमि पटटा अभियान 2007 के तहत मौके पर मकान का उक्त रकबा व नाप न होते हुऐ भी पट्टा संख्या 18736 दिनाक 16.11.07 मिसल संख्या 57/07 से 79 बाई 46 कुल 3634 वर्गफूट का अपने नाम जारी करवा लिया, रिकार्ड में पट्टे में बढी हुई अधिक माप 12 बाई 48 निगराकार के मकान का बनवा लिया, जिसके आधार पर गैर निगराकार निगराकार के मकान पर कब्जा करने पर आमादा है। तथा गैर निगराकारान ने अपने मकान के आगे उक्त पट्टे के बढे हुऐ माप के आधार पर छपरा व चबूतरी का निर्माण करने पर आमादा होकर निगराकार के मकान के दरवाजे का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे है। जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरनिगराकार ने उक्त पट्टा एक अभियान के तहत गैरनिगराकार ने षडयन्त्र व मिली भगत कर बिना मौका मुआयना करवाये अपने पक्ष में जारी करवाया है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक निगराकार की ओर से उनके पट्टा संख्या 45 दिनांक 12.01.63 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जो यद्यपि पूर्णतः पठनीय नहीं है, तथापि उक्त पट्टे में निगराकार के मकान की चतुर्सीमाओं का तथा उनका पटट्ा आबादी भुमि के किस खसरा नम्बर का है, अंकन नहीं होना प्रकट आता है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत से जैर निगरानी में प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनकी पत्रावली में गैरनिगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पट्टे के समन्ध में रिपोर्ट पटवारी आबादी भूमि खसरा नम्बर 162 के बाबत प्रपत्र 5 मौका रिपोर्ट एंव प्रपत्र 6 ग्राम पंचायत बैठकों का निर्णय के अनुसार पट्टा जारी करना पाया जाता है। इस प्रकार से निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में गैरनिगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पट्टे के विरुद्ध अपने पक्ष में किऐ कथनों के परिपेक्ष्य में तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचारण निगरानी स्वीकार किऐ जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

6. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्रीवासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा